



श्री शिवराज सिंह जी चौहान
मान. मुख्यमंत्री (मध्यप्रदेश)

योजना क्रमांक 134 में नवनिर्मित वसुंधरा काम्पलेक्स में 35 आवासीय उपयोग के प्रकोष्ठों को भू-स्वामी अधिकार पर नियत मूल्य पर कम्प्यूटर द्वारा लाटरी पद्धति से व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) आवेदन लगातार छः माह तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्रकोष्ठों का विवरण निम्नानुसार है-

अ.क्र.	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ की संख्या	आरक्षण श्रेणी	सुपर विल्टअप एरिया व. मी.में.	विल्टअप एरिया व.मी.में.	कारपेट एरिया व.मी.में.	प्रकोष्ठ की नियत मूल्य रु. लाख में	पंजीयन राशि रु. लाख में
1	1-BHK	1	आवेदन फार्म में संलग्न सूची अनुसार	76.46	58.10	41.38	31.76	3.20
2	2-BHK	25		98.59 से 134.25	74.92 से 91.90	57.70 से 73.35	40.96 से 55.77	6.00
3	3-BHK	7		143.30 से 143.40	108.89 से 108.97	80.50 से 84.39	59.52 से 69.35	6.00
4	DUPLEX 3-BHK	2		200.96	142.70	105.26	87.80	9.00



लोकेशन हेतु स्कैन करें



लॉटरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी दिनांक एवं समय

अ.क्र.	विवरण	पहली लॉटरी	दूसरी लॉटरी	तीसरी लॉटरी	चौथी लॉटरी	पाँचवी लॉटरी	छठी लॉटरी	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	20-04-2023	23-05-2023	27-06-2023	31-07-2023	04-09-2023	06-10-2023	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	12-05-2023	16-06-2023	20-07-2023	24-08-2023	25-09-2023	30-10-2023	17:30 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	15-05-2023	19-06-2023	21-07-2023	25-08-2023	26-09-2023	31-10-2023	11:30 hrs
4	लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	19-05-2023	23-06-2023	27-07-2023	31-08-2023	04-10-2023	06-11-2023	12:30 hrs

नोट :-

- लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर देखे एवं भरे जा सकते हैं।
- लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुतकर्ता पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- आवेदनकर्ता को प्रकोष्ठों के चयन ऑनलाईन करना होगा तथा आधार कार्ड, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र एवं सभी डाक्यूमेंट की प्रति स्कैनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- लॉटरी पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयवधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार संपत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- आवेदक आवेदन करने से पूर्व मौका निरीक्षण कर प्रकोष्ठ का अवलोकन कर आवेदन करें एवं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करे। प्रकोष्ठ का कब्जा यथास्थिति में दिया जावेगा।
- योजना का इ.न.पा.नि. इन्दौर के पत्र क्र. 914 दि. 04.09.2020 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र क्र. 1131 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्राप्त।
- योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक P-IND-18-1944 है।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल में मो. 9893699113 पर संपर्क करें।
प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर देख सकते हैं।